क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम – डिवर्मिंग कार्यक्रम

बजट/एफ0एम0आर0 शीष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – Logistics and Transport of Drugs under Deworming Programme

बजट क्रम संख्या/एफ0एफआर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – A.2.11.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

विभिन्न शोध कार्यो से यह पाया गया है कि बच्चों को कृमिमुक्त (Dewormed) करने से उनके शिक्षा एवं पोषण के स्तर में काफी महत्वपूर्ण सुधार होते हैं । जहाँ कृमि संक्रमण ज्यादा है वहाँ डिवर्मिंग के फलस्वरूप विद्यालय में 25 प्रतिशत तक उपस्थिति में वृद्धि परिलक्षित होती है । कृमि से संक्रमित बच्चों के शिक्षित नहीं होने की संभावना सामान्य बच्चों की तुलना मे लगभग 13 प्रतिशत कम होती है एवं वे वयस्क होने पर अपने हमउम्र की तुलना में लगभग 43 प्रतिशत कम आय हीं अर्जित कर पाते हैं ।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार (SHSB), बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना (BEPC) तथा अर्न्तराष्ट्रीय संस्था डिवर्म दी वर्ल्ड (Deworm the World) के द्वारा अगस्त 30, 2010 को एक समझौता ज्ञापन पर संयुक्त हस्ताक्षर किया गया, जिसमें पूरे राज्य में 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय स्वास्थ्य के अन्तर्गत कृमि से मुक्त करने हेतु दवा प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयो में 6–14 वर्ष आयु के बच्चों को कृमिमुक्त करने हेतु Single Dose अलबेंडाजोल (400 mg) खिलाया जाना है। यह दवा विद्यालय के प्रधानाध्यापक के देख–रेख में दो शिक्षकों द्वारा खिलाया जायेगा।

इस सारी योजना की सफलता हेतु राज्य स्तरीय विद्यालय स्वास्थ्य समन्वयक समिति की एक बैठक भी की गई है, जिसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, बिहार सरकार, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विभाग, बिहार सरकार, प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, प्रधान सचिव, पी0एच0ई0डी0 विभाग, बिहार सरकार कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना, क्षेत्रीय निदेशक–दक्षिण एशिया, डिवर्म दी वर्ल्ड, राज्य समन्वयक, डिवर्म दी वर्ल्ड एवं युनिसेफ, पटना के प्रतिनिधि प्रतिभागी रहे हैं ।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं डिवर्म द वर्ल्ड के संयुक्त तत्वाधान में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत 7 फरवरी 2011, 7 मार्च 2011 एवं 7 अप्रैल 2011 को राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों को एलबेंडाजोल की गोली खिलायी गयी है । 2011–12 के चक्रों में कुल में कुल 17044840 बच्चों को कृमि की दवा (Albendazole) खिलायी गयी है । एलबेंडाजोल की गोली खिलाये जाने का दूसरा चक्र दिनांक 10 सितम्बर, 2012 (डिवर्मिंग डे) एवं दिनांक 15 सितम्बर, 2012 (मॉप–अप डे) को लगभग 2 करोड़ सरकारी स्कूली बच्चों को कृमि की दवा (Albendazole) खिलाने के लक्ष्य के साथ संपन्न हुआ। वित्तीय वर्ष 2013–14 में भी राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों को एलबेंडाजोल की गोली खिलायी जानी है ।

ईकाई राशि में –

क्रम सं0	विवरणी	इकाई राशि (रूपये में)
1	Transportation Cost for Drug (Albendazole Tab)- **State to District**	10000/- Per Dist
2	Transportation Cost for Drug (Albendazole Tab)- **District to PHC and PHC to CRCCs**	2000/- Per PHC
3	Repackaging of Drug (Albendazole Tab)	1100/- per PHC

वितीय दिशा–निर्देशन – राज्य के सभी जिलों को उपरोक्त विवरणी अनुसार राशि उपलब्ध करायी जा रही है। राशि के उपयोग से संबंधित विस्तृत विवरणी निम्न है :–

13/7/13

- डिवर्मिंग कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तर से एलबेंडाजोल की गोली का उठाव करने अर्थात राज्य स्तर से संबंधित जिला में उक्त दवा को ले जाने हेतु दवा के उठाव एवं गाड़ी भाड़ा हेतु 10000 रूपये प्रति जिला राशि उपलब्ध करायी जा रही है ।
- जिला स्तर से प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से संबंधित सरकारी विद्वालयों तक उक्त दवा के उठाव एवं गाड़ी भाड़ा हेतु 2000 रूपये प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राशि उपलब्ध करायी जा रही है ।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर उक्त दवाओं का रिपैकेजिंग करने अर्थात दवाओं का आवश्यकतानुसार छोटे–छोटे पैकेट यथा 200 गोली, 100 गोली एवं 50 गोली का पैकेट बनाने हेतु प्लास्टिक को पैकेट या छोटा जार इत्यादि क्रय करने में होने वाले व्यय हेतु 1100 रूपये राशि प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध करायी जा रही है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

क) **ख)** **ग)**

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी / सलाहकार का नाम – डॉ0 एन0 के0 मिश्रा

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी / सलाहकार का फोन नं0– 9470003022

13/7/13